



कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

13213

सं०.एल०ए० / एस०एस०-1 / श०स्था०नि० /

दिनांक-

सेवा में,

Spl. Secy.

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, खगड़िया

महाशय,

नगर परिषद, खगड़िया के वर्ष 2013-14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 728/14-15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

-१०-

वरिय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०-एल०ए० / एस.एस.-1 / श०स्था०नि० / 14490/2252

दिनांक- 28/02/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-


1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, खगड़िया

वरिय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

3013
4-3-15

3013
4-3-15

3013
4-3-15



3013
192
10/3/15

13/11/14

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.-728/14-15

भाग-।

प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम :- नगर परिषद, खगड़िया
2. लेखा की अवधि :- 2013-14
3. लेखापरीक्षा का उद्देश्य :- अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किया गया पंजी व अभिलेख की सूची परिशिष्ट-I में एवं अप्रस्तुत व प्रस्तुत अभिलेख जिसकी जांच नहीं की गई की सूची परिशिष्ट-II पर दी गई है।
4. लेखापरीक्षा की अवधि :- 13.08.14 से 27.08.14
5. प्रशासन :-

1) मुख्य पार्षद का नाम

अवधि

क) श्री मनोहर कुमार यादव

01.04.2013 से 31.03.2014 तक

2) उपमुख्य पार्षद का नाम

अवधि

क) श्री राजकुमार फोगला

01.04.2013 से 31.03.2014 तक

3) नगर कार्यपालक पदाधिकारी

अवधि

क) श्री महेश्वर प्रसाद सिंह, बि०, प्र०, से०

01.04.2013 से 31.03.2014 तक

6 लेखापरीक्षा दल के सदस्य

1. श्री शिवराम (ले०प०)
2. श्री संगम तिवारी (ले०प०)
3. श्री रंजीत कुमार (स०ले०प०अ०)
4. श्री राजेश कुमार-III (स०ले०प०अ०)

7 पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम- श्री राजीव कुमार-I (व०ले०प०अ०)

8 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालन

पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन-अप्रस्तुत

9 अंकेक्षण टिप्पणी

नगर परिषद, खगड़िया की लेखा का संधारण संतोषप्रद नहीं था। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। अनुदान तथा अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। माँग एवं बकाया पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह तथा वृत्ति कर की वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास किए जाए। वार्षिक लेखे इत्यादि का संधारण नहीं किया जा रहा था। नगर परिषद, खगड़िया प्रशासन से आग्रह है कि इसके संधारण के प्रयास किए जाए। वसूली

राशि को ससमय जमा नहीं किया जा रहा था। अवरोधित राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा था। राशि को चालू खाते में नहीं रखा जाए। नगर परिषद प्रशासन की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सुधारात्मक बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

10 कार्यपालक से वार्तालाप की गई — हॉ (27.08.14)

11 लेखापरीक्षा का परिणाम —

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि— शून्य

वसूली हेतु सुझाई गई राशि— ₹4347751.00 ✓

आपत्ति के अधीन रखी गई राशि— ₹3015331.00 ✓

विस्तृत विवरणी विवरण सं०-3 पर है।

12 बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम -2007 की धारा- 84 के भाग (i) के अनुसार नगर निकाय को तैयार किए गए बजट प्राक्कलन मार्च माह के 15 तारीख तक सरकार को भेजना है भाग (2) के अनुसार बजट प्राक्कलन सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे एवं संशोधन अथवा बिना संशोधन के राज्य सरकार द्वारा मार्च-31 के पहले निकाय को भेजे जाएंगे।

लेखापरीक्षा अभियुक्ति—

(i) लेखापरीक्षा में उपलब्ध 2013-14 बजट के अनुसार सरकार को बजट झापांक-628, दिनांक 02.04.2013 को भेजा गया, जबकि सरकार को बजट मार्च 15 तक भेज देनी थी, बजट बिलंब से भेजा गया।

(ii) बजट के अनुसार लोक निर्माण कार्य के अंतर्गत विभिन्न मद में संभावित व्यय को दर्शाया गया है—

क्र०सं०	मद	संभावित व्यय	वास्तविक व्यय
1	न०प० तहसील मद से सड़क	5000000	शून्य
2	न०प० तहसील मद से नाला निर्माण	5000000	शून्य
3	BRGF योजना से	8000000	शून्य
4	न०प० कार्यालय के पीछे खाली जमीन पर गैरज एवं मीटिंग हॉल निर्माण	5000000	शून्य
5	भंडार गृह निर्माण कार्य	2000000	शून्य

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि संभावित व्यय की तुलना में वास्तविक व्यय शून्य है, जो बजट की स्थिति से परे है। ऐसा बजट तैयार करने का कारण लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया।

(iii) सरकार द्वारा बजट स्वीकृत कर नगर निकाय को वापस नहीं भेजा गया था।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि— भविष्य में बजट को समय पर प्रेषित किया जाएगा। बजट बनाते समय संभावित आय- व्यय को ध्यान में रखा जायेगा। अतः भविष्य में बजट के संदर्भ में ध्यान रखा जाए।

13. वित्तीय विवरण और बैलेंस शिट – तैयार नहीं किया गया।

14. आय- व्यय विवरणी (सहायक रोकड़ बही एवं पी.एल खाता)

लेखापरीक्षा में उपलब्ध सहायक रोकड़बही एवं P/L रोकड़बही का आय- व्यय तैयार किया गया (विवरणी संलग्न) जिसमें निम्नलिखित त्रुटि पाई गई है।

(i) नगर परिषद द्वारा आय- व्यय का मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक शीर्षवार वर्गीकरण एवं शेष का विवरण तैयार नहीं किया गया था।

(ii) लेखापरीक्षा में P/L रोकड़ बही के लिए ट्रेजरी पासबुक उपलब्ध नहीं कराया गया था, परन्तु ट्रेजरी स्टेटमेंट उपलब्ध कराया गया था जिसके अनुसार P/L रोकड़ बही एवं ट्रेजरी स्टेटमेंट के 31.03.14 के अंतर ₹672648 का समाधान नहीं किया गया है।

(iii) SJSRY के रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक के अंतर का समाधान नहीं किया गया है।

(iv) एक मद के लिए एक ही रोकड़ बही एवं एक ही पासबुक का संधारण किया जाना चाहिए परन्तु जाच में पाया गया कि सहायक रोकड़ बही एवं P/L रोकड़ बही में एक मद की राशि संधारित की गई है।

(v) सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद के लिए दो रोकड़बही एवं दो पासबुक का संधारण किया गया था।

विस्तृत आय- व्यय की विवरणी विवरण सं०- 01 पर है।

उपर्युक्त आपत्ति के जबाब में बताया गया कि समाधान कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायगा। उपरोक्त आपत्तियों का समाधान कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

भाग— || क - शून्य

भाग— || ख

कड़िका- 01 चालू खाता में राशि रखने से साधारण ब्याज के रूप में न्यूनतम राशि ₹9.92 लाख की क्षति

खगड़िया, नगर परिषद में तेरहवीं वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2013-14 में प्राप्त राशि, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की वर्ष 2012-13 (30.03.2013 को) में एवं वर्ष 2013-14 में प्राप्त राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत प्राप्त राशि को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, खगड़िया के चालू खाता सं०- 11068089956 में रखा गया था तथा इसी से लेन- देन होता था। राशि मदवार प्राप्ति की तिथि निम्न है-

क्र०सं०	मद का नाम	प्राप्त राशि	खाते में जमा की तिथि
1	तेरहवीं वित्त आयोग	2466700	11.05.2013
2	तथैव	479000	10.05.2013
3	तथैव	2773646	02.08.2013
4	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	15368807	30.03.2013
5	तथैव	18362186	25.03.2014
6	सामाजिक सुरक्षा	1705800	26.03.2013
7	तथैव	1526900	05.08.2013

उपरोक्त खाता इस उद्देश्य हेतु नगर परिषद द्वारा खोला गया था कि ट्रेजरी से स्थापना मद हेतु चेक को भुनाकर इस खाते में जमा कर उसी दिन या उसके अगले दिन राशि की निकासी कर ली जाती थी। इस खाते हेतु रोकड़बही का संधारण नहीं किया जाता था सिर्फ चेक संचालन पंजी संधारित किया जाता था।

योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक यो0- 4/1-48/2012-3311/यो0 वि0, पटना, दिनांक 17.08.2012 के अनुसार “कई विभागों के द्वारा राज्य, केन्द्र या केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि की राज्य या क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर निकासी कर सोसायटी अथवा निगम के माध्यम से योजनाओं पर व्यय किया जाता है। सोसायटी/ निगम के द्वारा बैंक में राशि संधारण किया जाता है, जिसपर ब्याज का अर्जन होता है। लगातार चलने वाली योजनाओं में सूद की राशि का उपयोग उसी योजना के कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा”।

अगर उपरोक्त राशि को बचत खाता में रखा जाता तो ब्याज के रूप में कम से कम राशि ₹9,92,563 प्राप्त होता। गणना का विवरण निम्न है-

क्र0सं0	माह का नाम	अंतिम दिन की अवशेष राशि	चार प्रतिशत ब्याज की राशि	अभियुक्ति
1	अप्रैल 2013	17077879	56926	01.04.13 को अवशेष राशि में रु 4,04,812 अन्य मद की है जिसमें रु 67,050 का भुगतान 12.04.13 को हुआ था को घटाकर शेष 3,37,762 को घटाकर प्रत्येक माह की शेष पर गणना किया गया है।
2	मई 2013	20370110	67900	
3	जून 2013	19783212	65944	
4	जुलाई 2013	19418207	64727	
5	अगस्त 2013	21161866	70539	
6	सितम्बर 2013	19931210	66437	
7	अक्टूबर 2013	18558538	61861	
8	नवम्बर 2013	17470115	58233	
9	दिसम्बर 2013	16094894	53649	
10	जनवरी 2014	15100839	50636	
11	फरवरी 2014	13498514	44995	
12	मार्च 2014	22390167	74633	
13	अप्रैल 2014	21286979	70956	
14	मई 2014	19917685	66392	
15	जून 2014	18510413	61701	
16	जुलाई 2014	17200373	57334	
			992563	

तेरहवीं वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं सामाजिक सुरक्षा की राशि को चालू खाता में क्यों और किनके आदेश से रखा गया के जबाब में कहा गया-

“खाता सं. 11068089956 नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, खगड़िया के नाम से खोली गई है। इस खाते में कार्यालय कर्मी/सफाई कर्मी का वेतन, चिकित्सा अनुदान, योजना मद में प्राप्त आवंटन की कोषागार से हस्तांतरित राशि रहती है। योजनाओं की राशि इस खाते से संबंधित खाते में हस्तांतरित हो जाती है। नगर परिषद कार्यालय द्वारा इस खाते के संचालन के लिए चेक संचालन पंजी खोली गई है।

संबंधित योजनाओं के बैंक खाते विलंब से विभिन्न बैंको में खोले गये हैं एवं खातों के चेक विलंब से प्राप्त हुआ। योजनाओं के लिए जो राशि प्राप्त होती है। उसका उद्देश्य ब्याज कमाना नहीं होता है। बल्कि राशि से योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना होता है। अतः इस आपत्ति को विलोपित करने की कृपा की जाय। चालू खाते से राशि की निकासी शीघ्र कर इसे बचत खाते में रखा जायेगा। जिससे कि ब्याज की क्षति न हो।”

जवाब गलत था। चालू खाता में राशि के संधारण करने से हुई साधारण ब्याज की क्षति राशि ₹9,92,563 की वसूली संबंधी दोषी से किया जाए। चालू खाता में राशि रखने से सरकारी दिशानिर्देश की अवहेलना किया गया। सभी मदों की अवशेष राशि को इस खाते से निकालकर संबंधित अलग-अलग बचत खातों में रखा जाए।

कड़िका-02 तेरहवीं वित्त आयोग की वर्ष 2013-14 में प्राप्त राशि ₹57,19,346 की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं

तेरहवीं वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा नगर परिषद को वर्ष 2013-14 में कुल राशि ₹57,19,346 स्वीकृत एवं जारी किया गया था। परंतु इसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं किया गया था। उक्त राशि RTGS के द्वारा प्राप्त हुआ था तथा अंकेक्षण के दौरान एस.बी.आई. मुख्य शाखा, खगड़िया कि चालू खाता सं० 11068089956 में विभिन्न तिथियों में जमा होना ज्ञात हुआ। विवरण नीचे है-

क्र० सं०	सस्वीकृति पत्रांक व दिनांक	प्राप्त राशि	खाते में जमा की तिथि	राशि का विवरण
1	02.05.2013	24,66,700	11.05.2013	2012-13 की जेनरल बेसिक ग्रांट की द्वितीय किश्त
2	05.04.2013	4,79,000	10.05.2013	2012-13 की जेनरल परफारमेंस ग्रांट की प्रथम किश्त
3	19.07.2013	27,73,646	02.08.2013	2013-14 की जेनरल बेसिक ग्रांट की प्रथम किश्त
कुल		57,19,346		

उक्त राशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं थी, साथ ही रोकड़ बही में राशि दर्ज नहीं होने से स्पष्ट है कि राशि का व्यय भी नहीं हुआ। इस प्रकार राशि भी अवरोधित थी।

आपत्ति के जबाब में बताया गया कि 13वीं वित्त आयोग की राशि पंजाब नेशनल बैंक, खगड़िया के बचत खाता संख्या- 4931000100053596 में रखी गई है। इसकी जानकारी विभाग को सूचित है। इस खाता को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। खाते में राशि बूझा के द्वारा भेजा जाना था, जो इस खाते में नहीं भेजी गई है। फलस्वरूप इस कार्यालय को राशि प्राप्ति की जानकारी नहीं मिल पाई, न ही इसे रोकड़ पंजी में दर्ज किया गया है।

जबाब तर्कसंगत नहीं था। अंकेक्षण के दौरान एस बी आई खाता की अद्यतन विवरणी प्राप्त करने पर राशि जमा ज्ञात हुआ। अवरोधित राशि ₹57,19,346 को अतिशीघ्र उपयोग किया जाए तथा प्राप्ति की विवरणी रोकड़ बही में भी संधारित किया जाए।

कंडिका- 3(i) कम जमा/नहीं जमा (होलिडिंग रसीद) नगद द्वारा ₹300

नगर परिषद, खगड़िया के वर्ष 2013-14 के होलिडिंग रसीद के लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जॉच में पाया गया कि राशि ₹300 नगद कम जमा है। विवरण निम्न है-

क्र० सं०	होलिडिंग रसीद सं०	दिनांक	वसूली गई राशि	जमा की गई राशि	वसूलीकर्ता/कर-संग्राहक का नाम	अभियुक्ति
01	28461 से 28465, 28470 से 28494, 28499, 28500	03.06.14 से 05.06.14, 05.06.14 से 10.06.14, 12.06.14, 12.06.14	51,655 (नकद)	51,355 (नकद)	श्री अमरेन्द्र कुमार	

कम/नहीं जमा की गई राशि (51,655- 51,355) अर्थात् ₹300। आपत्ति निर्गत करने के पश्चात राशि ₹300 विविध रसीद सं० 6457 दिनांक 24.08.2014 द्वारा जमा कर दिया गया ₹300 की राशि बैंक/नगर निधि में जमा का साक्ष्य नहीं पाया गया। अतः इस राशि को बैंक में जमा कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

कंडिका-3(ii) दुकान किराया कम अथवा नहीं जमा राशि

नगर परिषद, खगड़िया के वर्ष 2013-14 अवधि के विभिन्न संग्रहकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्टॉल वसूली पंजी एवं दुकान रसीद के मिलान के कम ये पाया गया की कुल राशि ₹1060.00 कम जमा की गयी थी।

क्र० सं०	रसीद सं०	संग्रहन तिथि	संग्रहित राशि	जमा राशि	जमा की तिथि	कम/नहीं जमा राशि	संग्रह
01.	6243-6269	30.04.2013- 14.05.2013	15,055	15,035	28.06.13	20	अमरेन्द्र कुमार
02.	6401-6429	05.04.2013- 15.04.2013	19,845	18,845	30.04.13	1000	मणिभूषण कुमार
03.	6684	14.8.2013	2668	2628	26.08.13	40	
कुल			37,568	36,508		1060	

आपत्ति के जबाब में बताया गया कि- अमरेन्द्र कुमार एवं मणिभूषण सिंह से राशि की वसूली कर ली गई है। विविध रसीद सं० क्रमशः 6456 एवं 6458 दिनांक 24.08.2014 द्वारा राशि क्रमशः ₹20 एवं ₹1040 है। बैंक/नगर निधि में जमा का साक्ष्य नहीं पाया गया। अतः ₹1060 की राशि बैंक/नगर कोष में जमा को अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाय।

कंडिका-3(iii) कम जमा/नहीं जमा (होलिडिंग रसीद) चेक द्वारा

नगर परिषद, खगड़िया के वर्ष 2013-14 के होलिडिंग रसीद के लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जॉच में पाया गया कि राशि ₹14524 चेक द्वारा नहीं जमा है। विवरण निम्न है-

क्र० सं०	होलिडिंग रसीद सं०	दिनांक	वसूली गई राशि	जमा की गई राशि	कम जमा की गई राशि	वसूलीकर्ता/कर संग्राहक का नाम	अभियुक्ति
01	25954	12.02.2014	14524	शून्य	14524	श्री अनिल कुमार राय	चेक द्वारा नहीं जमा

अतः राशि ₹14524 परिषद कोष में जमा नहीं की गई थी।

आपत्ति के जबाब में बताया गया कि— अनिल कुमार राय के द्वारा जो चेक प्राप्त किया गया है। उसका बैंक खगड़िया में नहीं है। जिसके कारण चेक क्लीयर नहीं हो पाया। कर संग्रहकर्ता को आदेश दिया गया है कि कोषपाल से चेक वापस लेकर होलिडिंगधारी को वापस करें और उनसे नगद राशि/बैंकर्स चेक/मल्टीसिटी चेक प्राप्त करें। अतः ₹14524 वसूली संबंधित होलिडिंगधारी/श्री अनिल राय से कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए।

कंडिका-3(iv) चापाकल गड़ाई की योजना में अधिक भुगतान ₹1.94 लाख

सशक्त स्थाई समिति के बैठक दिनांक 08.04.2013 के प्रस्ताव सं० 3 के द्वारा 150 अदद चापाकल गड़ाई की योजना ली गई थी। तदनुसार पी०एच०ई०डी०, खगड़िया के कार्यपालक अभियंता के दिनांक 02.05.2013 का मानक प्राक्कलन ₹15,690 प्राप्त किया गया।

अल्प कालीन कोटेशन प्राप्त कर संवेदक श्री महेश्वर प्रसाद सिंह, बापू नगर, बलुआही, खगड़िया को पत्रांक- 1369 दिनांक 24.06.2013 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया।

संवेदक द्वारा 142 चापाकल का अधिष्ठापन किया गया इसके एवज में कुल बिल की राशि ₹22,97,980 के विरुद्ध 5% वैट की राशि ₹1,14,899 की कटौती कर राशि ₹21,83,081 संवेदक को भुगतान किया गया।

विवरण नीचे है—

क्र० सं०	चापाकल की सं०	बिल की राशि	वैट की कटौती की गई राशि	भुगतान राशि	चेक सं०	दिनांक	मद	खाता सं०
1	52	8,15,880	40,794	3,33,798	487028	28.11.2013	चतुर्थ वित्त	पी०एल० रोकड़ बही एस०बी०आई० मुख्य शाखा चालू शाखा खाता सं०-11068089956
				4,41,288	173269	28.11.2013	-वही-	
2	40	6,27,600	31,380	5,96,220	173286	10.02.2014	बारहवी वित्त	
3	50	8,54,500	42,725	8,11,775	173301	25.03.2014	बारहवी वित्त	
कुल	142	22,97,980	1,14,899	21,83,081				

अंकेक्षण टिप्पणी—

(क) आयकर की कटौती नहीं— संवेदक के बिल से 2.24% आयकर की कटौती (अर्थात् राशि ₹51,475) नहीं किया गया था। इस प्रकार संवेदक को राशि ₹51,475 का अधिक भुगतान किया गया था तथा सरकारी राजस्व को क्षति पहुँचाया गया।

1325
(ख) सुरक्षित जमा राशि 5% की कटौती नहीं – संवेदक के बिल से 5% सुरक्षित जमा राशि ₹1,14,899 कि कटौती नहीं की गई।

(ग) एक वर्ष के संधारण की कटौती नहीं करना :- पी0एच0ई0डी0 के प्राकलन में प्रति अदद चापाकल के एक वर्ष के रख रखाव हेतु ₹154.97 का प्रावधान था। इसका भुगतान अधिष्ठापन के एक वर्ष के पश्चात् करना चाहिए था। परन्तु, इस हेतु राशि ₹22,005 का भुगतान अधिष्ठापन के समय ही कर दिया गया। इस प्रकार राशि ₹22,005 का अनियमित व्यय किया गया।

(घ) जल की जाँच- प्राक्कलन में प्रति अदद चापाकल हेतु राशि ₹40 का प्रावधान जल की जाँच जिला प्रयोगशाला में कराने हेतु तथा फोटोग्राफी हेतु था। संचिका में जिला प्रयोगशाला में जल की गुणवत्ता जाँच के संबंध में कोइ उल्लेख नहीं था अलवत्ता इसकी अधिष्ठापन की जाँच कार्यालय के एक सहायक द्वारा कराया गया था। इस प्रकार राशि ₹5,680 का अधिक भुगतान किया गया। गाड़े गये चापाकल के जल के गुणवत्ता की जाँच नहीं किया गया।

आपति के जवाब में बताया गया कि –संवेदक श्री महेश्वर प्रसाद सिंह, बापू नगर बलुआही, खगड़िया से राशि की वसूली के लिए इस कार्यालय के पत्रांक- 1567 दिनांक 23.08.2014 द्वारा आदेश निर्गत किया जा चुका है। यह खर्च 12वीं वित्त आयोग से की गई है। 12वीं वित्त की राशि पी0एल0 खाते में जमा थी। पी0एल0 खाते का चेक समाप्त हो जाने के उपरांत दो माह तक कोषागार से नया चेकबुक निर्गत नहीं हो पाया। ऐसी परिस्थिति में चालू खाते से संवेदक को भुगतान किया गया। जिसका समायोजन पी0एल0 खाते के चेक संख्या 487143 दिनांक 09.08.2014 से किया गया (चालू खाता संख्या 11068089956 में राशि जमा किया गया) एवं इसे अगस्त 2014 में लेखापाल के रोकड़ बही में दर्ज किया जा रहा है। विविध रसीद सं0 6463 दिनांक 25.08.2014 द्वारा संवेदक ने राशि ₹1,94,059 अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद निधि में जमा कर दिया।

भविष्य में भुगतान करते समय उपरोक्त कटौतियों को ध्यान में रखा जाए। ₹194059 को बैंक/नगर निधि में जमा का साक्ष्य नहीं पाया गया। अतः इस राशि को बैंक में जमा कर अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाय।

कंडिका-04 सोलर लाईट (तेरहवीं वित्त) की क्रय में अधिक भुगतान ₹1.65 लाख

नगर परिषद, खगड़िया द्वारा कार्यादेश पत्रांक 1351 दिनांक 16.12.11 द्वारा प्रति अदद ₹32525 की दर से सोलर लाईट की आपूर्ति हेतु मेसर्स आस्तु इंटरप्राइजेज, मेन रोड खगड़िया को दिया गया था। 21.09.2011 को कोटेशन खोला गया था तथा न्यूनतम दर वाले को कार्यादेश दिया गया। कार्यादेश 52 अदद सोलर लाईट का था।

अंकेक्षण अवधि तक फर्म को 23 अदद सोलर लाईट के अधिष्ठापन हेतु बिल की राशि ₹748075 में से वैट की राशि ₹30475 की कटौती कर ₹717600 पी0एल0 रोकड़बही की चेक संख्या 487051 दिनांक 03.03.2014 को भुगतान किया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. यह बोर्ड की बैठक से पारित था या नहीं उसकी प्रति उपलब्ध कराया नहीं गया।
2. सोलर लाईट की क्रय हेतु उस समय बेल्ट्रान का दर प्रचलित था। बेल्ट्रान का दर दिनांक 26.05.11 से प्रति अदद ₹26684 (अधिष्ठान व भाड़ा सहित) था। इसमें टैक्स भी सम्मिलित था। इसके अलावे सोलर पैनल की 10 वर्षों तथा चार्जर सेट की दो वर्ष की वारंटी भी सम्मिलित था। जबकि क्रय ₹32525 की दर से किया गया था।
3. इसकी भंडार पंजी तथा वर्तमान स्थिति से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।
4. फर्म की कोटेशन में 3 साल की गारंटी लिखा हुआ था। इसे प्राप्त किया गया अथवा नहीं इसकी जानकारी नहीं दी गयी।
5. कोटेशन में वर्णित स्पेशिफिकेशन के अनुसार अधिष्ठापन नहीं किया गया।
6. गारंटी की स्थिति में 5% Performance security ₹30475 (609500 का 5%) की कटौती नहीं की गई थी। आपति के जबाब में बताया गया – बेल्ट्रान द्वारा स्वीकृत दर की जानकारी इस कार्यालय को नहीं है। कार्यालय का जबाब तर्कसंगत नहीं है। बेल्ट्रान की दर पर क्रय नहीं करने से इस योजना में राशि ₹1,34,343 का अधिक भुगतान फर्म को किया गया साथ ही परफारमेंस सिक्विरिटी की राशि ₹30475 की भी कटौती नहीं की गई।

अतः राशि ₹1,64,818 की वसूली आस्तु इंटरप्रार्ज़ेज से कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

कंडिका- 5 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का अवरोधन ₹1.56 करोड़

जिला परिषद से वर्ष 2013-14 में कुल राशि ₹43,64,820 प्राप्त हुआ था (12.2.14 को ₹39,68,944 व 6.3.14 को ₹395,876)। रोकड़ बही के अनुसार 01.04.13 को अंतशेष ₹1,10,11,867 था। कुल प्राप्ति राशि ₹1,58,04,480 के विरुद्ध मात्र राशि ₹1,97,969 का व्यय हुआ था तथा 31.03.14 व अब तक राशि ₹1,56,06,511 अवरोधित थी। रोकड़ बही की नमूना जॉच में पाया कि जून 2011 से प्राप्त जिला परिषद से तथा बैंक सूद की राशि अवरोधित था। साथ ही वर्ष 2011-12 के पश्चात 2012-13 एवं 2013-14 की योजना पर राशि का भुगतान शून्य था। क्या वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में योजना शुरु नहीं किया गया था यदि नहीं तो इसके शुरु नहीं करने तथा राशि अवरोधित रखने से राशि प्राप्ति का उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।

आपति के जबाब में बताया गया कि अनुदान की राशि व्यय नहीं किये जाने के निम्नलिखित कारण है –

(क) कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता का नहीं होना।

(ख) तकनीकी पदाधिकारी के नहीं होने के कारण डूडा के कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को नगर परिषद से सम्बद्ध किया गया था। वे कार्यभार के कारण प्राक्कलन तैयार नहीं कर पाये।

(ग) कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता भी अन्य विभाग से डूडा में प्रतिनियुक्त हैं।

1313

(घ) कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता का स्थानांतरण होने से भी प्राक्कलन तैयार नहीं हो सका।

(च) कनीय अभियंता का नियोजन नगर परिषद, खगड़िया द्वारा कर लिया गया है। उनके द्वारा छह बी0आर0जी0एफ0 योजना का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। सहायक अभियंता से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, कार्यपालक अभियंता से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात नियमानुसार योजना कार्यान्वित की जायेगी।

अवरोधित अनुदान राशि का यथाशीघ्र उपयोग किया जाए। ✓

कंडिका- 06 हस्त ठेला की क्रय(तेरहवीं वित्त) में अधिक भुगतान ₹0.13 लाख

30 अदद हस्त ठेला की क्रय हेतु प्रस्ताव 28.09.2013 को लिया गया था तथा उसी दिन अल्पकालीन कोटेशन सूचना आमंत्रित किया गया था। तदनुसार मेसर्स कर्मशक्ति कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, एम0जी0 मार्ग, बलुआही, खगड़िया को प्रति अदद ₹8550 की दर से पत्रांक 2680 दि0-01.11.2013 द्वारा आपूर्ति आदेश दिया गया।

फर्म द्वारा दिनांक 03.03.14 को ₹2,69,325 का बिल दिया गया। इसमें से वैट की राशि ₹12,825 की कटौती कर राशि ₹2,56,500 का भुगतान पी0एल0 चेक सं0 487081 दि0 19.03.14 द्वारा किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. अल्पकालीन कोटेशन में शर्त सं0 2 में यह निहित था कि आपूर्तिकर्ता को एक वर्ष तक निःशुल्क रख-रखाव करना होगा। ऐसी शर्त रहने के बावजूद भी फर्म को सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया। जबकि परफारमेंस सिक्यूरिटी के रूप में 5% राशि ₹12,825 को लंबित रखना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। पुनः पूर्व लिए गए जमानत की राशि 5,000 को भी 12.07.14 को वापस कर दिया गया।

रख-रखाव के संबंध में कोई भी राशि लंबित नहीं था। इस प्रकार राशि ₹12,825 का अनियमित भुगतान किया गया।

2. स्वच्छता निरीक्षक, नगर परिषद खगड़िया को गुणवता प्रमाण पत्र हेतु 14.03.14 को आदेश दिया गया था। परंतु इसकी गुणवता के संबंध में कोई भी दस्तावेज संचिका में नहीं था। बिना गुणवता प्रमाण-पत्र के भुगतान क्यों किया गया था।

3. इसकी भंडार पंजी के अवलोकन में पाया कि मात्र 18 ठेला ही 28.07.2014 तक वितरित किया गया था। शेष 12 अदद भंडार में था। बिना आवश्यकता के क्रय किया गया था।

4. क्रय हेतु नगर परिषद बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त किया गया या नहीं।

आपति के जवाब में बताया गया कि- आपूर्तिकर्ता कर्मशक्ति कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर, एम0जी0 मार्ग बलुआही, खगड़िया नगर परिषद को हाथ ठेला के अतिरिक्त एल0ई0डी0 बल्व भी आपूर्ति कर रही है। सामग्री खराब पाये जाने पर वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक, रासायनिक अभियंता नहीं है। आपूर्ति किया गया हाथ ठेला में लगा फाईबर एवं स्टील की जांच स्वच्छता निरीक्षक किस ज्ञान के आधार पर करेगा। लेकिन उससे यह अपेक्षा की गई थी कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि हाथ ठेला में लगे नट वोल्ट एवं फाईबर दुरुस्त हैं या नहीं। हाथ ठेला कार्यालय में उपलब्ध है, जिसकी गुणवत्ता देखी जा सकती है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री का निरीक्षण किया गया था। फाईबर की मोटाई एवं छूकर देखने से लगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, चक्का का बेंरिंग सही है, नट वोल्ट आदि ठीक है।

ठेला एम0जी0 रोड एवं स्टेशन रोड में सफाई करने वाले कर्मियों के द्वारा उठाव नहीं किया गया है। साथ ही साथ जहां दो सफाई कर्मी है वहां भी एक ही ठेला लिया गया है, जिसके कारण नगर परिषद कार्यालय में ठेला पड़ा हुआ है। धीरे- धीरे सभी ठेला सफाई कर्मियों के द्वारा लिया जायेगा एवं उपयोग किया जायेगा। हाथ ठेला के क्रय की स्वीकृति नगर परिषद बोर्ड/सशक्त स्थाई समिति से प्राप्त है, दिनांक 07.10.2013 का प्रस्ताव संख्या दस में अंकित है।

जवाब संतोषजनक नहीं है। परफारमेंस सिक्यूरिटी की राशि ₹12,825 की वसूली फर्म से कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

कंडिका- 07 सफाई कार्य हेतु समन्वय को अनियमित भुगतान

समन्वय, एन.जी.ओ को वार्ड सं0-12, 17, 21, 22, 23 में सफाई कार्य हेतु अंकेक्षण अवधि में कुल राशि 17,31,660 का भुगतान किया गया था। भुगतान 13वी वित हेतु प्राप्त राशि से किया गया था। इनके द्वारा सफाई कार्य 05.06.2013 से शुरू किया गया था। दर प्रतिमाह ₹1,99,500 था। भुगतान का विवरण निम्न है-

क्र0सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि	रोकड़बही का नाम	माह
1	486991	03.09.2013	3,35,160	पी0एल0	जून-जुलाई 2013
2	487001	08.10.2013	1,99,500	पी0एल0	अगस्त 2013
3	487038	06.01.2014	5,98,500	पी0एल0	सितम्बर-नवम्बर 2013
4	487078	14.03.2014	5,98,500	पी0एल0	दिसम्बर 2013-फरवरी 2014
			1731660		

अंकेक्षण टिप्पणी

1. क्या एन.जी.ओ को सफाई कार्य देने के पूर्व नगर परिषद बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त किया गया था। ✓
2. इन पाँच वार्डों में सफाई कार्य एन.जी.ओ को देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ✓
3. क्या एन.जी.ओ को सफाई कार्य सुपुर्द करने से सफाई के गुणवत्ता में वृद्धि हुई। क्या इसमें वित्तीय औचित्य का पालन किया गया। ✓
4. जून 2013 के पूर्व इन पाँच वार्डों की सफाई में मजदूरों सहित उपकरणों पर कितनी राशि प्रतिमाह खर्च होता था। क्या राशि ₹1,99,500 प्रतिमाह से कम या अधिक व्यय होता था। क्या इसमें वित्तीय बचत हुआ। ✓
5. एकरारनामा की शर्त पाँच के अनुसार कुडा को मधुरापुर स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में गिराना था। जो संबंधित वार्ड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। परंतु नगर प्रबंधक दारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक 07.11.

311

2013 व 26.12.13 के अनुसार कुड़ा को रेलवे के गड्डे में फेका जाता था। जिसकी दूरी 0.5 किलोमीटर थी। रेलवे से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था साथ ही जब कम दूरी पर कुड़ा का निष्पादन हो रहा था तो समन्वय को कम राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया था।

6. एन.जी.ओ द्वारा कार्य में लगाये गये मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता था। यह अस्पष्ट था।
7. एन.जी.ओ का भंडार कक्ष था। इसमें सफाई से संबंधित कौन- कौन से उपकरण व वाहन थे, नगर परिषद से भी सफाई उपकरण दिया गया था या नहीं यह नहीं बताया गया।
8. जुन 2013 के पुर्व इन वार्डों में कार्य कर रहे सफाई मजदूर का उपयोग अब कहाँ हो रहा है। जुन 2013 से इन वार्डों में नगर परिषद कोई सफाई मजदूर कार्य भी कर रहा है इसकी जानकारी नहीं दी गयी।
9. व्यय 13वीं वित्त के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की राशि से हो रहा था। संग्रहित कुड़ा कचरा से ठोस अपशिष्ट कार्य हो रहा था, यह नहीं बताया गया।
10. आयकर 2 प्रतिशत कटौती नहीं ₹34,634 (चौतिस हजार छः सौ चौतिस)

आयकर अधिनियम के सेक्शन 194 (J) के अनुसार पुरे वर्ष में किसी संस्था जिन्हें राशि ₹20000.00 से अधिक भुगतान किया गया या योग्य है, से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती करना है। समन्वय को वर्ष 2013-14 में कुल राशि रु. 17,31,660 का भुगतान किया गया परंतु 2 प्रतिशत आयकर अर्थात् ₹34,634 की कटौती नहीं की गई।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि -नगर परिषद खगड़िया में 26 वार्ड है एवं यहां 69 सफाई कर्मियों का पद स्वीकृत है। इस पद के विरुद्ध 88 नियोजित कर्मियों से काम लिया जाता है। विभाग को पद स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है, परन्तु अबतक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। नगर परिषद, खगड़िया 1960 के दशक में एक अधिसूचित क्षेत्र था एवं इसके सफाई कर्मियों का स्वीकृत पद 69 था। जनसंख्या उस समय लगभग पांच से सात हजार एवं वार्डों की संख्या सात थी। वर्तमान में वार्डों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है एवं जनसंख्या 49403 हो गई। पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्वीकृत पद से अधिक सफाई कर्मियों के रखने पर आपत्ति उठाई गई है। लेकिन नगर परिषद के सफाई का काम इसके प्राथमिक दायित्व में आता है एवं नगर परिषद खगड़िया अपने संसाधनों से इसके वेतन का भुगतान करने में वर्तमान दर पर सक्षम है। फिर भी विभाग से पद स्वीकृति की अपेक्षा अंकेक्षण आपत्ति के आधार पर की गई है।

12वीं वित्त, 13वीं वित्त एवं चतुर्थ वित्त में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन पर काफी अधिक राशि दी गई है ताकि नगरपालिका सफाई की व्यवस्था को सुदृढ कर सके। अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट किये जाते हैं :

- (i) नगर परिषद की सशक्त स्थाई समिति की बैठक दिनांक 21.05.2014 के प्रस्ताव संख्या तीन से समन्वय को वार्ड संख्या 12, 17, 21, 22 एवं 23 में कार्य करने हेतु अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है।

(ii) सफाई कर्मियों की कमी के कारण एन0जी0ओ0 को सफाई कार्य दिया गया।

(iii) एन0जी0ओ0 को प्रत्येक घर से कूड़ा लेने का काम दिया गया है, जो अबतक नगर परिषद अन्य वार्डों में कर्मचारी के अभाव में नहीं करती है। इन पांच वार्ड से कर्मचारी विमुक्त होने से अन्य वार्डों में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हुई, ट्रैक्टर पर जहां 16 मजदूर उपलब्ध था एवं तीन से चार गाड़ियां खुलती थी वहां 23 मजदूर उपलब्ध है एवं 05 से 06 गाड़ियां प्रतिदिन कूड़ा उठाने के लिए खुलती है। इसप्रकार पांचों वार्ड के अतिरिक्त अन्य वार्डों में भी सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सफलता मिली।

(iv) जून 2013 के पूर्व पांच वार्डों की सफाई में 13 मजदूर लगा हुआ था। एन0जी0ओ0 के द्वारा तीस मजदूर को लगाया गया है। नगर परिषद खगड़िया चाहते हुए भी प्रयाप्त मजदूरों की व्यवस्था उन पांच वार्डों के साथ अन्य सभी वार्डों में नहीं कर पाई। क्योंकि मजदूरों का अभाव था। अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है, एक वार्ड में सफाई के लिए कम से कम चार मजदूरों (झाडूकश एक, नाला की सफाई के लिए एक से दो, घर- घर से कूड़ा लेने के लिए एक से दो मजदूरों) की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ पांच से छह वार्डों में कम एक सफाई वाहन यथा ट्रैक्टर/ट्रीपर के साथ चालक एवं तीन मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक पांच से छह वार्ड के लिए एक गैंग की आवश्यकता होती है। यदि सफाई कार्य गहन एवं बड़े पैमाने पर प्रारंभ किया जाय। प्रकाश की व्यवस्था जलापूर्ति के लिए नगर परिषद में कोई कर्मी प्रतिनियुक्त नहीं है। अगर यह व्यवस्था भी इसमें जोड़ी जाय तो कम से कम प्रति वार्ड सात से आठ मजदूरों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता होगी। ऐसे में एन0जी0ओ0 को सफाई कार्य देना मितव्यता है।

(v) नगर परिषद खगड़िया एन0एच0 31 के बगल में ट्रकों के ठहराव के लिए स्थल का चयन किया है एवं इसे विकसित किया जा रहा है। एन0जी0ओ0 को ट्रेचिंग ग्राउण्ड के बदले एन0एच0 31 के बगल में बने गढ़दे को लैंड फिल करने का आदेश दिया गया है। वर्तमान समय में नगर परिषद से जो कूड़ा उठाव किया जाता है, उसे भी एन0एच0 31 के बगल में बने गढ़दे में डाला जाता है। नगर प्रबंधक अपने जांच के क्रम में यह पाया हो कि रेलवे के गढ़दे में डाल रहा है, पर यह इक्का- दुक्का घटनाएं है। इसे नियम नहीं समझा जाना चाहिए। रेलवे के किसी पदाधिकारी द्वारा अबतक कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। नगर परिषद एन0जी0ओ0 के सफाई कार्य को गहराई से देखती है एवं उनके कार्यों से संतुष्ट है। जहां कहीं भी काम में कमी पाई जाती है, उसे संबंधित संस्था को सूचित किया जाता है, राशि की कटौती की जाती है।

(vi) समन्वय खगड़िया का एक ख्यातिप्राप्त संस्था है, जो न केवल व्यवसायिक कार्य करती है, बल्कि प्राकृतिक आपदा के समय लोक कल्याणकारी कार्य भी करती है। संस्था द्वारा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। किसी भी मजदूर के द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

(vii) नगर परिषद ने एन0जी0ओ0 को महिन्द्रा का ट्रीपर/टेम्पू मोबलग ₹9000.00 मासिक किराया पर दिया है। जो इंधन रहित एवं चालक रहित है। यह वाहन सफाई के उपरांत नगर परिषद के परिसर में ही लगाया जाता है।

(viii) पांच वार्डों के सफाई मजदूर अब नगर परिषद कार्यालय में ट्रैक्टर पर एवं अन्य वार्डों में प्रतिनियुक्त है।

(ix) कूड़ा कचड़ा का संग्रह, उठाव, परिवहन एवं डंपिंग एवं इससे संबंधित सभी उपस्कर, मजदूर, डंपिंग स्थल पर किया जाने वाला व्यय एवं इसके प्रबंधन पर किया जाने वाला व्यय ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में सम्मिलित होता है। 13वां वित्त से समन्वय को भुगतान किया जाना नियमानुकूल है।

(x) समन्वय से उनके संस्था का अंकेक्षण एवं जमा की गई आयकर से संबंधित साक्ष्य मांगी जा रही है। भविष्य में आयकर की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

क्र0सं0 5, 10 का जबाब संतोषजनक नहीं था।

कम दूरी पर कूड़ा फेंकने के लिए समानुपातिक गणना कर अधिक भुगतान राशि की वसूली समन्वय से किया जाए। साथ ही रेलवे/एन0एच0- 31 से अनापति प्रमाण पत्र की मांग किया जाए। आयकर की राशि ₹34634 की वसूली कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए।

अधिक भुगतान की वसूली करने तक व्यय राशि ₹1697026 को अंकेक्षण आपति के अंतर्गत रखा जाता है।

कंडिका- 8(i) सेवा कर की वसूली नहीं, राशि ₹10,938

फाईनेन्स एक्ट 1994 के सेक्शन 68 व सेवाकर नियमावली 1994 के नियम 6 के अनुसार विज्ञापन हेतु एक अवधि के लिए दिए गए स्थल पर मार्च 2009 से 10.30 प्रतिशत सेवाकर भुगतान करना होगा।

विज्ञापन संचिका के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2013-14 में विज्ञापन /होर्डिंग के लिए विज्ञापन शुल्क लिया गया, जिसकी कुल राशि ₹106194 है। इस शुल्क पर सेवाकर की राशि नहीं ली गयी।

राशि ₹106194.00 पर 10.30 प्रतिशत अर्थात् राशि ₹10938.00 सेवा कर नहीं लिया गया।

आपति के जबाब में बताया गया कि - अबसे इसे लागू किया जायेगा। उतर तर्कसंगत नहीं है। उपर्युक्त राशि ₹10938 वसूलनीय है। इसे संबंधित निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए।

कंडिका-8(ii) सेवा कर की वसूली नहीं ₹208521

वित्तीय नियम 1994 की धारा -68 एवं सेवाकर नियम 1994 के नियम 06 के अनुसार दुकानदार से किराया के साथ सर्विस कर 10.3 प्रतिशत के दर से वसूली का प्रावधान है। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत मार्केट शाखा विवरणी के अनुसार 2013-14 में कुल ₹20,24,475 की वसूली दुकान किराया के रूप में हुई। विवरण निम्न है-

क्र०सं०	स्टॉल/आहत	वसूली (2013-14)
01	स्टॉल	11,88,331
02	आढत	8,36,144
कुल:-		20,24,475

वसूली की राशि ₹20,24,475 पर 10.30 प्रतिशत के अनुसार राशि ₹2,08,521 सेवा कर के रूप में वसूली नहीं गई थी।

आपति के जवाब में बताया गया कि – अंकेक्षण टिप्पणी में निम्नांकित जानकारी नहीं है। अधोहस्ताक्षरी इस टैक्स की वसूली के लिए प्राधिकृत है या नहीं इसकी जानकारी बिहार नगरपालिका अधिनियम में भी नहीं है। अंकेक्षण टिप्पणी में वित्तीय नियम 1994 की धारा 68 एवं सर्विस टैक्स रूल्स 1994 के नियम 6 का अध्ययन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। लेकिन निम्नांकित बातें स्पष्ट नहीं हो पाई-

(क) सर्विस टैक्स की वसूली किस प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

(ख) प्राधिकार किसके द्वारा नियुक्त होगा। (किस नियम के तहत)

(ग) फुटकर विक्रेता यथा किराना दुकानदार, स्टेशनरी दुकानदार, मनिहारी दुकानदार, फुटवेयर दुकानदार, साईकिल मरम्मत करने वाले दुकान, फल बेचने वाले दुकान, सब्जी बेचने वाले दुकान से सर्विस टैक्स लेने का प्रावधान 68 में सर्विस कैटेगरी की सूची में सम्मिलित नहीं है।

कृपया उक्त जानकारी देने की कृपा की जाय। यदि यह टैक्स लेना आवश्यक होगा तो इसकी वसूली 2014 से आरंभ कर दी जायेगी। उपर्युक्त सेवाकर से संदर्भित वसूली के प्रावधान की प्रति उपलब्ध करा दी गई थी। अतः राशि ₹208521 संबंधित निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए।

कंडिका-09 समेकित अल्प लागत स्वच्छता योजना (चतुर्थ राज्य वित्त) में अग्रिम का सामांजन नहीं

समेकित अल्प लागत स्वच्छता योजना अंतर्गत शुष्क शौचालय को जलवाही शौचालयों में परिवर्तन हेतु नगर परिषद, खगड़िया द्वारा 'सर्वसुलह समाज सेवा संस्थान, बेगूसराय' को पत्रांक 63 दि० 03.02.09 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया था।

इस कार्य हेतु संस्थान को राशि ₹9,94,000 दिनांक 31.3.2014 तक पी०एल० रोकड़ से दिया गया था। विवरण नीचे है-

क्र०सं०	चेक सं०	दिनांक	अग्रिम राशि
1.	486419	13.08.2012	3,50,000
2.	486899	08.07.2013	3,20,000
3.	487040	06.01.2014	3,24,000
कुल			9,94,000

अंकेक्षण टिप्पणी-

1. अग्रिम राशि ₹9,94,000 का सामंजन नहीं किया गया था। जलवाही शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था।

2. MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (HOUSING SECTION) भारत सरकार के ज्ञापांक सं०-14013-3/2004-Lcs/vol.II / FTS/ 6246 दिनांक 20.12.2012 के अनुसार समेकित अल्प लागत स्वच्छता योजना 31.03.2014 तक ही लागू था।

आपति के जबाब में बताया गया कि- दिनांक 20.06.2014 तक सर्वसुलह समाज सेवा संस्थान बेगूसराय ने कुल 116 शौचालय का निर्माण कार्य जांचोपरांत पूर्ण पाया गया। जिसमें से ₹944000.00 का अभिश्रव पारित कर समायोजित कर लिया गया है।

आई०एल०सी०एस० योजना को बंद करने के संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इस योजना की राशि से 670 यूनिट शौचालय पूर्ण किया जाना है। इस योजना की अग्रिम का सामंजन अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए।

कंडिका-10 संचार मोबाइल टावरों का अपंजीकृत रहना एवं ₹25.30 लाख शुल्क बकाया

बिहार सरकार द्वारा संचार मोबाइल टावर एवं संबंधित संरचना पर करो के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.12 को अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर परिषद् के पंजीकरण शुल्क ₹40,000 प्रतिटावर एवं नवीकरण शुल्क ₹10,000 प्रतिवर्ष प्रतिटावर निर्धारित किया गया है। नियम 6(2) के अनुसार उपरोक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाइल टावरों को उपवर्णित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्व वर्षों की संख्या के आधार पर लिया जाएगा।

नगर परिषद् द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत मोबाइल टावर संचिका के नमूना जाँच में पाया गया कि नगर परिषद् के अन्तर्गत 24 टावर अधिस्थापित थे। ये 24 टावर नगर परिषद् से अपंजीकृत थे एवं उपरोक्त नियमावली के अनुसार अधिस्थापित मोबाइल टावरों पर ₹25.30 लाख शुल्क बकाया था।

(विवरण सं.- 02)

लेखापरीक्षा टिप्पणी-

1. नगर परिषद् क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं अपंजीकृत टावरों को पंजीकृत करने के वास्तविक स्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया था।
2. विवरणी संख्या 3,5,6,7,13,17,20 के स्थापित वर्ष अंकित नहीं किये थे।
3. वर्तमान में कितने टावर अपंजीकृत हैं।

आपति के जबाब में बताया गया कि— मोबाईल टावर को पंजीकृत करने हेतु प्रयास किया जा रहा है एवं बकाया शुल्क की वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास किया जा रहा है। अतः राशि ₹2530000.00 वसूल कर, संबंधित निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए।

कड़िका-11 अस्वीकृत पद पर मानदेय का भुगतान ₹9.18 लाख

नगर परिषद, खगड़िया के वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गये स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्त विवरणी से ज्ञात हुआ कि इस कार्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध संविदा कर्मी से कार्य लिया जा रहा है।

क्र०सं०	पदनाम	रिक्त पद	उसके विरुद्ध कार्यरत संविदा कर्मी	कम/अधिक स्वीकृत सं०
1	सफाई कर्मचारी	67	78	11
2	वार्ड जमादार	03	01	-2
3	चालक	02	05	03
4	माली	—	1	1
5	अनुसेवक	3	—	—
6	पाछक	1	—	—
7	सहायक	1	—	—
8	स्वच्छता निरीक्षक	1	—	—
9	कोषपाल	1	—	—
10	कनीय अभियंता	1	—	—
11	प्रधान सहायक सह लेखापाल	1	—	—
12	विधि सहायक	1	—	—
13	टैक्स दरोगा	1	—	—

अंकेक्षण टिप्पणी

(क) सफाई कर्मचारी के रिक्त पद के विरुद्ध 11 कर्मचारी अधिक को संविदा पर कार्यरत किया गया है।

11x ₹5000x 12= ₹6,60,000 एक वर्ष 13-14 में अस्वीकृत पद पर खर्च किया गया।

(ख) चालक के रिक्त पद के विरुद्ध तीन अधिक चालक को संविदा पर कार्यरत किया गया है।

3x ₹5500x 12= ₹1,98,000 का खर्च अस्वीकृत पद पर किया गया।

(ग) माली के पद के लिए स्वीकृत पद नहीं हैं। बिना स्वीकृत पद के विरुद्ध इस पद पर 01 कर्मचारी कार्यरत है। 1x ₹5000x 12= ₹60,000 का खर्च अस्वीकृत पद पर किया गया।

(घ) क्र०सं० 05 से 13 तक पद रिक्त के विरुद्ध संविदा पर कार्यरत नहीं किया गया। इससे कार्यालय के कार्य के गुणवत्ता प्रभावित होती है।

(ङ) कुल ₹9.18 लाख का वित्तीय वर्ष 2013-14 में अस्वीकृत पद के विरुद्ध संविदा कर्मी पर खर्च किया गया।

305

आपति के जबाब में बताया गया कि— कार्य की अधिकता को देखते हुए अतिरिक्त सफाई कर्मी एवं चालक को रखा गया है। पार्क की देख- रेख एवं सौन्दर्यीकरण के लिए माली को रखा गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त व्यय स्वीकृत पद पर नहीं किया गया है। अतः उचित स्पष्टीकरण अथवा सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने तक राशि ₹918000.00 आपति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका-12 बन्दोबस्ती में 3% स्टाम्प पर एकरारनामा नहीं करने से राजस्व की हानि ₹125145.00

बिहार सरकार के पत्रांक- 1920 मुख्य सचिव, दिनांक 14.08.2002 एवं पत्रांक 549 दिनांक 15.03.2005 के अनुसार बन्दोबस्ती की राशि 3% का मुल्य के स्टाम्प पर बन्दोबस्ती का एकरारनामा किया जाना था, जबकि लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गए सैरात संचिका के नमूना जॉच में पाया गया कि बन्दोबस्ती में 3% स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं कर 100 के स्टाम्प पर एकरारनामा किया गया था, जिससे राजस्व की हानि हुई। विवरण निम्न है—

क्र.सं.	बंदोबस्ती	बंदोबस्ती धारक	बंदोबस्ती राशि	एकरारनामा की राशि (3%)
1	माल वाहक वाहन प्रवेश शुल्क	श्री श्याम सुन्दर यादव	1294800	38844.00
2	मांस- मछली बाजार (फेरी सहित)	तथैव	578700	17361.00
3	बलुआही बस पड़ाव	चन्दन कुमार	2308000	69240.00
				1,25,445.00

100 के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा (100x3) = ₹300

कुल राजस्व हानि = रु 125445 - रु 300
= ₹1,25,145.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(क) माल वाहक वाहन प्रवेश शुल्क बंदोबस्ती संचिका में नोटशीट नहीं पाया गया था।

(ख) बंदोबस्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशन की प्रति संचिका में संलग्न नहीं पायी गयी थी।

(ग) एकरारनामा 3% स्टाम्प पेपर पर नहीं किया गया था।

आपति के जबाब में बताया गया कि - संबंधित बन्दोवस्तदार को वसूली हेतु लिखा जा रहा है। अतः राशि ₹125145.00 वसूल कर संबंधित निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए।

कंडिका-13 टिन- टिकट बंदोबस्ती में विभागीय वसूली नहीं होने से राजस्व की हानि ₹46226

लेखापरीक्षा में उपलब्ध टिन- टिकट बंदोबस्ती (20.12.14) संचिका के नमूना जॉच में पाया गया कि ज्ञापांक- 472 दिनांक 19.03.13 के अनुसार श्री रतन राज, बमबम को दिनांक 01.04.13 से 31.03.14 के लिए ₹130060 की बन्दोवस्ती की गइ जिन्हें दिनांक 01.04.13 से 30.09.13 तक के लिए वसूली करने को प्राधिकृत किया गया, दिनांक 01.10.13 से वसूली प्राधिकृत करने के लिए श्री रतन राज को बन्दोवस्ती की आधी राशि ₹65,030 जमा करना था, परन्तु बन्दोबस्तीधारक द्वारा बन्दोवस्ती की आधी राशि जमा नहीं

की गयी, जिस कारण श्री रतन राज को बन्दोवस्ती रद्द कर ज्ञापांक- 687 दिनांक 26.02.14 के अनुसार श्री मणिभूषण सिंह कर संग्रहकर्ता को विभागीय वसूली के लिए आगे की अवधि (दिनांक 26.02.14 से 31.03.14) के वसूली के लिए प्रतिनियोजित किया था। इस प्रकार 01.04.13 से 31.03.14 के बीच बन्दोवस्ती एवं विभागीय रूप से निम्न रूप में वसूली कर विभाग में जमा की गई।

क्र०सं०	बन्दोवस्ती/विभागीय वसूली	रसीद सं०/दिनांक	राशि	वसूलीकर्ता
01	बन्दोवस्ती	3873/07.03.13	13000	श्री रतन राज
02	बन्दोवस्ती	3874/07.03.13	65030	श्री रतन राज
03	विभागीय वसूली	6309/02.04.14	9606	श्री मणिभूषण सिंह
			87636	

लेखापरीक्षा टिप्पणी-

(क) विभागीय वसूली का आदेश 01.10.13 से 25.02.14 के बीच नहीं दिया गया, विभागीय वसूली का आदेश 26.02.14 को देने के कारण विभाग को कुल ₹42,424 (1,30,060- 87636) की हानि हुई।

(ख) बन्दोवस्ती धारक से एकरारनामा बन्दोवस्ती के 3% स्टाम्प पेपर पर करनी थी परन्तु एकरारनामा ₹100 रु के स्टाम्प पेपर पर किया गया था, जिससे ₹3802 की राजस्व की हानि हुई। विवरण निम्न -
एकरारनामा की गई स्टाम्प पेपर की राशि - 100

एकरारनामा 3% बन्दोवस्ती के स्टाम्प पेपर पर नहीं की गई- ₹3902 (130060 x 3%)

राजस्व की हानि - ₹3802 (3902-100)

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि - टिन टिकट की वसूली के लिए कर संग्रहकर्ता को आदेश दिया गया था। कर संग्रहकर्ता द्वारा दो बिन्दुओं पर आपत्ति उठाई गई थी- 1. कमीशन की राशि क्या होगी। 2. टिन- टिकट उपलब्ध कराई जाय। बोर्ड के द्वारा निर्णय लेने एवं टिन- टिकट तैयार करवाने में विलंब हुआ।

उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि बोर्ड के द्वारा समय पर विभागीय वसूली का निर्णय नहीं लेने से राजस्व की हानि हुई। अतः राशि ₹46226 (42424 + 3802) संबंधित व्यक्ति से वसूलनीय है।

कंडिका-14(i) होल्लिंग कर की बकाया राशि की वसूली नहीं ₹21,12,380

मकान कर, शिक्षा कर एवं स्वास्थ्य कर आदि से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया था, परन्तु 2013-14 के मांग एवं वसूली से संबंधित विवरण लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया गया था। जिसके अनुसार 31.03.2014 तक कुल बकाया राशि ₹21,12,380.00 का विवरण निम्न प्रकार है -

1303

कुल होल्लिडिंग - ₹13425
 कुल मांग - ₹9476237
 कुल वसूली - ₹7363857
 कुल बकाया - ₹2112380 (31.03.2014)

उपर्युक्त राशि के अभी तक बकाया रहने का कारण एवं नगर परिषद द्वारा वसूली हेतु किए गए प्रयास से अंकेक्षण दल को अवगत नहीं कराया गया।

आपति के जबाब में बताया गया कि- वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास किया जा रहा है। अतः राशि वसूल कर संबंधित निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए।

कंडिका-14 (ii) सरकारी भवनों पर बकाया मकान कर ₹4030546

सरकारी भवनों पर बकाया मकान कर की पंजी / संचिका लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। परंतु लेखापरीक्षा में उपलब्ध वर्ष 2013-14 तक बकाया सरकारी भवनों से संबंधित विवरणी के अनुसार कुल ₹4030546 मकान कर के रूप में बकाया था।

उपर्युक्त राशि के बकाया रहने एवं नगर परिषद द्वारा वसूली हेतु प्रयासों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

आपति के जबाब में बताया गया कि- वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास किया जा रहा है। अतः राशि वसूल कर संबंधित निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए।

कंडिका- 14(iii) शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नहीं ₹18.40 लाख

शहरी स्थानीय निकायों को संपत्ति कर (होल्लिडिंग टैक्स) के 50% की दर से शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर वसूलने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

नगर परिषद द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान शिक्षा एवं स्वास्थ्य के रूप में वसूली गयी राज्य सरकार के आदेशानुसार नगर निकाय को वसूल किए गए राजस्व में से 10% वसूली प्रभार घटाकर शेष राशि सरकारी खाता में जमा करना था परंतु इसे जमा नहीं किया गया उक्त मदों में सरकारी खाते में जमा नहीं की गयी। राशि का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष (2013-14)	शिक्षा उपकर की राशि	स्वास्थ्य उपकर की राशि
कुल राजस्व	1022757	1022757
(घटाव वसूली प्रभार 10%)	102276	102276
सरकारी खाते में जमा नहीं राशि	920481	920481
कुल		₹1840962

नगर परिषद द्वारा ₹1840962 को सरकारी खाते में जमा नहीं कर उसका उपयोग निकाय के अन्य कार्यों पर किया गया।

आपति के जबाब में बताया गया कि- नगर परिषद खगड़िया की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है। वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर राशि प्रेषित कर दी जायेगी। अतः इसे जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

कंडिका-15 दुकान किराया बकाया राशि ₹2,42,191

लेखापरीक्षा में उपलब्ध स्टॉल एवं आढ़त भॉग एवं वसूली विवरण के अनुसार राशि ₹2,42,191 की वसूली अभी बाकी थी। विवरण निम्न है -

01.	स्टॉल	26,544.00
02.	आढ़त	2,15,647.00
	कुल-	₹2,42,191.00

उपरोक्त वसूली के बकाया के संदर्भ में जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया था, दुकान किराया का बकाया राशि ₹2,42,191 वसूल कर संबंधित निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया गया।

कंडिका-16 निर्माण कार्य में अनियमितता

योजना - स्टेशन रोड स्थित डा0 विकास कु0 के निकट क्रॉसिंग ड्रेन की मरम्मती एवं स्लैव निर्माण कार्य प्राक्कलन राशि - -----

तकनीकी स्वीकृति - -----

प्रशासनिक स्वीकृति - कार्यपालक पदा0 खगड़िया

अभिकर्ता - श्री रघुनंदन प्र0 यादव स्वच्छता निरीक्षक

स्लैन स्वीकृत सं0 -28

मास्टर रॉल -

06.08.13 से 13. 08.13	-	10,700
27.08.13 से 03.09.13	-	9,000
20.09.13 से 21.09.13	-	1350
		₹21,050

सेंटिंग मजदूरी 3,080

₹24,130

सामाग्री	मात्रा	दर	राशि	वैट	रायल्ली
ईट	1000 न0	6300	5965	315(5%)	20(20%)
सिमेन्ट	18 बैग	352/प्रति बैग	6326	855(13.5%)	-
सीमेन्ट	34 बैग	325/प्रति बैग	11050	1490(13.5%)	-
गिट्टी	1/2 क्यू0 फीट	-	2100		
गिट्टी	2	-	9200		
बालु	1/2	-	2100		
बालु	2	-	4200		
लोहा एवं लकड़ी	22 x70	22 कि0ग्रा0	1540		
छड़	493.30 कि0ग्रा0	42.86/कि0ग्रा0	21,147	1057(5%)	-
कुल-			₹63628		

वैट एवं रायल्ली समेत भुगतान राशि :- 17,883/-

301
कुल भुगतान -रु 24130+ रु 63628 = ₹87758

₹86505 की राशि भुगतान की स्वीकृति अभिकर्ता को दी गई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति

- 1 इसमें प्राक्कलन नहीं बनवाया गया था। ✓
- 2 स्वीकृत स्लैब की संख्या 28 थी पर उसमें कितने स्लैब का निर्माण हुआ स्पष्ट नहीं था। ✓
- 3 मस्टर रौल अवधि 27.08.2013 से 03.09.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें प्रविष्टि साइट पर नहीं किया या फर्जी था। ✓
- 4 इसमें वैट और रॉयल्टी की राशि काटकर भुगतान किया है। अतः विभाग इसे संबंधित विभाग को जमा किया है या नहीं, स्पष्ट नहीं था। ✓
- 5 इसमें एम बी उपलब्ध नहीं था।
- 6 कार्यपूर्णता एवं गुणवत्ता का प्रमाण पत्र की प्रविष्टि नहीं पायी गयी।

आपति के जबाब में बताया गया कि- कनीय अभियंता के अभाव में प्राक्कलन नहीं बना। कार्य की महत्ता को देखते हुए बिना प्राक्कलन के कार्य कराया गया। कार्य गुणवत्ता पूर्ण हुआ।

कुल 28 स्लैब के विरुद्ध कितना स्लैब का निर्माण हुआ इसे अगले अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाए तब तक व्यय राशि ₹86,505 को अंकेक्षण आपति के अंतर्गत रखा जाता है।

कंडिका-17(i) अप्रस्तुत अभिश्रव

नगर परिषद, खगड़िया के वित्तीय वर्ष 2013-14 के लेखापाल के पी.एल खाता के नमूना जांच में के क्रम में पाया कि निम्न अभिश्रव अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कराया गया।

अभिश्रव सं	चेक सं	दिनांक	राशि	उद्देश्य
91	486997	9.9.13	20,400	मेसर्स जेनम को कूड़ादान का भुगतान
			20,400	

आपति के जवाब में बताया गया कि- अभिश्रव सं. 91 खोजा जा रहा है। अतः अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करने तक राशि ₹20400 आपति के अधीन रखी जाती है। ✓

कंडिका-17(ii) अप्रस्तुत अभिश्रव/अग्रिम

नगर परिषद, खगड़िया के वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपलब्ध कराये गये अभिश्रव में से अभिश्रव सं. 38/2013-14 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जिला परियोजना पदाधिकारी को चेक सं. 173236 एस. बी.आई. मेन ब्रांच दिनांक 10.07.13 राशि ₹293400 दिया गया। इसका उद्देश्य टाउन हॉल की मरम्मत हेतु था। जिला परियोजना पदाधिकारी द्वारा उक्त राशि के विरुद्ध बिल नगर परिषद को नहीं दिया गया। अतः उक्त राशि को अबतक अग्रिम माना जायेगा।

नगर परिषद द्वारा इस संबंध में बताया गया कि जिला परियोजना पदाधिकारी को दी गई राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अभिश्रव आदि की मांग की जा रही है।

अतः अभिश्रव/उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करने तक ₹293400 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

TAN

कंडिका- 01 अनुदान की स्थिति

सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इसका संधारण विहित प्रपत्र में किया जाए। हालाँकि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान की स्थिति के अनुसार अनुदान की स्थिति निम्न प्रकार हैं -

1	01.04.13 को अनुदान की अवशेष राशि	56,19,2773
2	वर्ष 2013-14 में प्राप्ति	2,43,87,992
3	कुल प्राप्ति	8,05,80,765
4	व्यय वर्ष 2013-14 में	2,27,36,175
5	31.03.2014 को अवशेष राशि	5,78,44,590

उपरोक्त राशि 31.03.2014 तक अवरूद्ध थी।

आपत्ति के जबाब में बताया गया कि- कनीय अभियंता के नहीं रहने के कारण राशि का व्यय नहीं हो पाया। इसलिए अनुदान की राशि अवरोधित था। अतः उत्तर के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

कंडिका- 02 वैट की राशि के एवज में फार्म सी-III नहीं प्राप्त किया जाना

नगर परिषद, खगडिया के वित्तीय वर्ष 2013-14 के भाउचरो का अंकेक्षण के जॉच के क्रम में पाया गया कि कुल भुगतान राशि में से वैट की राशि भुगतान के एवज में फार्म सी-III साक्ष्य के रूप में लिया जाना था। विवरण निम्न है-

भाउचर सं०	चेक सं०	दिनांक	फर्म	राशि	वैट की राशि	कुल भुगतान राशि
162/2013-14	487071	05.03.14	ज्योति हार्डवेयर	2052	103	2155
तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	2793	140	2933
तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	2793	140	2933
तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	2496	125	2621
तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	5632	282	5914
तथैव	तथैव	तथैव	प्रकाश ट्रेक्टर स्पेयर्स	335	45.23	380.23
तथैव	तथैव	तथैव	मौर्या आटो एजेंसी	2045	276	2321
तथैव	तथैव	तथैव	तथैव	4401	594	4995
					1705.23	24252.23

अंकेक्षण टिप्पणी

उपरोक्त विभिन्न फर्म को वैट की कुल राशि ₹1705.23 का भुगतान किया गया है। यह भुगतान चेक सं0 487071 द्वारा कुल भुगतान की गई राशि ₹74350 में से है। वैट की राशि के भुगतान से पूर्व फार्म सी-III का साक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था।

आपति के जबाब में बताया गया कि -सामग्री का क्रय विभिन्न तिथियों को की गई है एवं उसका अभिश्रव प्राप्त किया गया है। खुदरा सामान के क्रय करते समय उसपर लगने वाले वैट को जोड़कर दुकानदार द्वारा बिल बनाया जाता है एवं उसका नगद भुगतान किया जाता है। दुकानदार जब सामग्री का पक्का रसीद काटता है, तो वह उसमें वैट की राशि सम्मिलित करता है। ऐसा करना उसके लिए बाध्यकारी है। ऐसी परिस्थिति में बिना वैट के सामग्री का रसीद वह जारी नहीं करता है। प्रत्येक दुकानदार से सी0-III लेना व्यवहारिक नहीं है। अधिक मात्रा में स्टेशनरी की सामग्री को क्रय किया जाना भी व्यवहारिक नहीं होता है। क्योंकि अनावश्यक रूप से सामग्री भंडार में पड़ी रहती है। इसलिए एक माह या उससे भी कम अवधि के लिए जो आवश्यक प्रतीत होता है उसे क्रय करने का आदेश दिया जाता है। ज्यादातर मामलों में तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए सामग्री क्रय का आदेश दिया जाता है, जो नकद क्रय किया जाता है।

उत्तर संतोषजनक नहीं था। भुगतान करते समय ही स्रोत पर वैट की कटौती कर ली जाए।

कंडिका- 03 लॉगबुक में अनियमितता ✓

नगर परिषद, खगड़िया के वित्तीय वर्ष 2013-14 नमूना जाँच के क्रम में उपलब्ध लॉगबुक जो की निम्न है -

- (1) टैम्पू चालक :- श्री गोपाल कु, मो मुख्तार, श्री पिकेश यादव (वर्ष 2013-14)
- (2) ट्रेक्टर चालक :- श्री अमरजीत यादव, श्री गौरांग पाल, श्री नवल यादव (वर्ष 2013-14)

के द्वारा लॉगबुक उपलब्ध करवाया गया। इनके लॉगबुक में निम्न अनियमितता पायी गयी -

- (क) निर्धारित स्थान से कूड़ा उठाया तो गया पर उसको गिराने के स्थान का विवरण शीर्ष में प्रविष्टि नहीं की गयी।
- (ख) कूड़ा उठाने एवं गिराने के लिए कितनी ट्रिप में की गयी, की प्रविष्टि नहीं की गयी।
- (ग) कूड़ा गिराये जाने वाले स्थान नगर परिषद के स्वामित्व में है अथवा नहीं।
- (घ) गिराये गए कूड़ा का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगर परिषद ने क्या कार्य किये।

आपति के जबाब में बताया गया कि— क्रम सं. 01 एवं 02 के संबंध में चालक को निर्देश दिया जा रहा है। क्रम संख्या 04 में नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत आबादी से दूर गड्ढे को भरने का कार्य किया जा रहा है। अतः इस सन्दर्भ में अग्रेतर कार्यवाही की जाये। साथ ही ठोस अवशिष्ट प्रबंधन का कार्य भी कर लिया जाए। आबादी से दूर गड्ढा नगर परिषद का है अथवा नहीं इसे भी अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाए।

कंडिका— 04 नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया में त्रुटियाँ

नगर परिषद, खगड़िया के वर्ष 2013-14 की अवधि के लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये भवन निर्माण शुल्क सूची के नमूना जाँच में यह पाया गया कि नक्शा स्वीकृति की जो प्रक्रिया का कार्यालय द्वारा परिपालन किया जा रहा है, उसमें निम्न त्रुटियाँ पायी गयी—

- (क) नक्शा प्रप्ति पंजी का वास्तुविद्वार संधारण नहीं किया गया था।
- (ख) भवन निर्माण शुल्क का भुगतान नगद किया जा रहा है जबकि कार्यालय में ड्राफ्ट द्वारा इस राशि को जमा करना होता था।
- (ग) भवन निर्माण शुल्क का भुगतान सीधा आवेदक द्वारा किया जा रहा था जबकि शुल्क वास्तुविद् द्वारा स्वीकृति के साथ ही कार्यालय को दिया जाना था।
- (घ) कार्यालय द्वारा वर्ष 2013-14 में कुल 58 नक्शा की स्वकृति प्रदान की गई, परन्तु किसी भी नक्शा की जाँच नहीं की गई।

अंकेक्षण टिपणी—

1. उपरोक्त नियमों का परिपालन ना करते हुए नक्शा की स्वीकृति के मानदण्ड से समझौता किया गया।
2. पारित नक्शा में से कितने भवनों का निर्माण हो चुका है तथा कितनों का कर निर्धारण कार्यालय द्वारा किया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया।

आपति के जबाब में बताया गया कि— इस संबंध में वास्तुविद को स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्र भेजा जा रहा है। पारित नक्शे में से निर्मित भवन, यदि कोई है तो, उनके कर मूल्यांकन के लिए कर दारोगा को पत्र दिया जा रहा है।

अतः जवाब के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

12/97

कडिका- 05 योजना की स्थिति

लेखापरीक्षा में उपलब्ध योजना विवरणी के नमूना जॉच में पाया गया कि चतुर्थ मद में 2013-14 के अंतर्गत 34 योजना ली गई परन्तु एक भी योजना शुरु होने के बावजूद योजना कार्यान्वयन पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

योजना के कार्यान्वयन का आदेश दिए जाने के बावजूद योजना पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

आपत्ति के जबाब में बताया गया कि- कनीय अभियंता के नहीं रहने से योजना पर व्यय शून्य है। अब कनीय अभियंता आ गए है, तो व्यय होगा। उत्तर के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

—हस्ता0—
(राजेश कुमार)
स.ले.प.अ.
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
—सह—
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

परिशिष्ट - I


संविधान सं. 3 में संदर्भित
प्रस्तुत अभिलेख (अधिसूची) नमूना जोच संरक्षण में किया गया

- (1) P/L शैकड़वही, शैकड़पाल शैकड़वही
- (2) बसहायक शैकड़वही
- (3) थाजनापंजी
- (4) वजट
- (5) बैंक स्टैटमेंट / पासबुक
- (6) शैकड़गश्ती, विविध शैकड़
- (7) अभिलेख (आंशिक)
- (8) अंडार पंजी
- (9) अभिलेख पंजी
- (10) पूर्व ललापरीक्षा प्रातिवहन अनुपात्मक
- (11) वंदावली संचिका
- (12) मीवाइल टापर संचिका
- (13) लोंग बुक
- (14) स्वीडन एवं कार्पशतल विवरणी
- (15) नक्शा पंजी / संचिका
- (16) अनुदान विवरणी
- (17) दैनिक संग्रहण पंजी


A.K.

- 1.) गोंड वसुली पंजी
- 2.) म्यूटेशन पंजी
- 3.) अफीम पंजी
- 4.) शक्य निर्माण/विनिर्माण के लक्ष्य पंजी
- 5.) कर प्राप्ति निर्गत पंजी
- 6.) दहत गोंड पंजी
- 7.) वारंट पंजी
- 8.) ऑफिसिव/डिजरेस्ड लाइसेंस पंजी
- 9.) विविध गोंड पंजी
- 10.) प्रोपर्टी रजिस्टर
- 11.) इंडस्ट्री रजिस्टर
- 12.) सरकारी अनुदान पंजी
- 13.) सरकारी ऋण पंजी
- 14.) ऋण विनिर्माण पंजी
- 15.) निर्वन्ना पंजी
- 16.) हूल एवं प्लान्ट रजिस्टर
- 17.) लैप्पापरीका पंजी
- 18.) जमा पंजी
- 19.) स्वयंसेवक लेजर
- 20.) दर बुची
- 21.) कार्य पंजी
- 22.) रांड मेटल, विवर्णी
- 23.) ऑपलन स्कॉउट
- 24.) लाइव स्टॉक के अंडर पंजी
- 25.) सिंकींग फंड रजिस्टर
- 26.) म्युनिसिपल कर्मचारी के सिन्डुरिटी पंजी
- 27.) सेवा पुस्तिका
- 28.) पॉलिसी, रिपुडु स्टॉप लेखा
- 29.) गिवर बुक
- 30.) पीक लेखा/लेजर


 A.P.



1. प्रारंभिक शीट - 31537262=21

2. धात्रि (आप)

(i) अजगणना -	869250 = 00
(ii) मानदेय -	616400 = 00
(iii) न.प. तहसील -	14727898 = 00
(iv) वार्ड पार्किंग -	128400 = 00
(v) शिक्षक वेतन -	1077900 = 00
(vi) कार्यालय व्यय -	52500 = 00
(vii) पेशाकर -	864793 = 00

3. कुल (i to vii)

18337141 = 00

4. कुल भाग (1+3)

49874403 = 21

5. व्यय

(i) मैनिंग स्ट्राइ -	949420 = 00
(ii) इंधन -	3418146 = 00
(iii) चक्रवृत्त -	1769723 = 00
(iv) ई. शासन -	144499 = 00
(v) अमानत वापसी -	620919 = 00
(vi) न.प. तहसील -	11361758 = 00
(vii) Estab/अप -	2751207 = 00

6. (i to vii) भाग -

21015672 = 21

(न.) अंतर शीट -

28858731 = 00 (31.3.14)

Balance of P/L Statement -

29531379 = 00

As on (31.3.14)

Diff. = 672648



गौरीवाडीतम वापर व निवारी

(32)

(क्रिडका - 10) मी. अंशपत्र (निवारी सं-2)

क्र. सं.	संस्थान/संस्था/वार्ड	संस्थान/संस्था/वार्ड	संस्थापना वर्ष	कुल वर्ष	हारापना संख्या	वर्गीकरण	मूल्य
(1)	अर्थशास्त्र विद्यापीठ	BSNL	2007	8	40000	80000	120000
(2)	निर्वाह, वांग, र. प्र. वार्ड-2	Reliance	—	—	40000	70000	80000
(3)	सुधी मायागण प्र. वार्ड-23	—	—	—	40000	70000	110000
(4)	सोलाप, सुभा. अ. वार्ड-24	Airtel	2008	7	40000	50000	90000
(5)	संजु कुमारी वार्ड-24	—	—	—	40000	40000	80000
(6)	शांतिवती वार्ड-24	—	—	—	40000	110000	80000
(7)	शांतीवती वार्ड-19	BSNL	—	—	40000	50000	90000
(8)	शांतीवती वार्ड-22	BSNL	2005	5	40000	70000	110000
(9)	अर्थशास्त्र वार्ड-07	Airtel	2008	7	40000	70000	110000
(10)	जीवनी वार्ड-07	Airtel	2008	7	40000	110000	150000
(11)	वसुधा वार्ड-08	Reliance	2004	11	40000	40000	80000
(12)	गौरीवाडी वार्ड-01	Reliance	2009	6	40000	60000	100000
(13)	गौरीवाडी वार्ड-04	—	—	—	40000	60000	100000
(14)	सोलाप वार्ड-11	—	2009	6	40000	60000	100000
(15)	अर्थशास्त्र वार्ड-11	Airtel	2005	10	40000	100000	140000
(16)	सुधी वार्ड-20	Reliance	2007	8	40000	80000	120000
(17)	सुधी वार्ड-18	Reliance	—	—	40000	40000	80000

कुल 179000

1830000

54

1990

45179000

- (18) अरिहयादेवी व आद्यादेवी वार्ड नं० 14 Airtel 2008 7 40000 70000 110000
- (19) वार्ड नं० 14 Equipo 2009 6 40000 60000 100000
- (20) सुनानिनादेवी वटेश्वर ठाकर वार्ड - 13 Vodafone — — 40000 40000 80000
- (21) मधुवाला देवी अशांक प्रगत अस्पताल पर्यक लवंगडिया वार्ड - 16 C Airtel 2009 6 40000 60000 100000
- (22) महेंद्र प्र० वमा व० लव० सरपुग प्र० वमा लवंगडिया वार्ड - 25 Vodafone 2009 6 40000 60000 100000
- (23) महेंद्र प्र० वमा व० लव० सरपुग प्र० वमा लवंगडिया वार्ड - 25 Vodafone 2010 5 40000 50000 90000
- (24) गौरी सिंह पति जितेंद्र कु० सिंह वार्ड - 14 Airtel 2007 8 40000 80000 120000

2490000
2530000

(कृपया आंकड़ों की दृष्टता की जांच कर लें)

राजेश कुमार
(ल.सं.प.अ.)

विवरणी सं.- 3
लेखापरीक्षा के परिणाम
(प्रतिवेदन की भाग- I कंडिका- 11 के संदर्भ में)

क्र०सं०	कंडिका सं०	अंकेक्षण के दौरान जमा कराई गयी राशि	वसूली हेतु सुझायी गई राशि	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि
	भाग-II(ख)			
1	1	—	992563.00	—
2	3(iii)	—	14524.00	—
3	4	—	164818.00	—
4	6	—	12825.00	—
5	7	—	—	1697026.00
6	8(i)	—	10938.00	—
7	8(ii)	—	208521.00	—
8	10	—	2530000.00	—
9	11	—	—	918000.00
10	12	—	125145.00	—
11	13	—	46226.00	—
12	15	—	242191.00	—
13	16	—	—	86505.00
14	17(i)	—	—	20400.00
15	17(ii)	—	—	293400.00
		शून्य	4347751.00	3015331.00